15/5/18

पत्रावली पेश। उभय पक्ष के अभिभाषकगण उप०। बहस उभय पक्ष आवेदन अन्तर्गत धारा 151 CPC बाबत पोषणीयता सुनी गई। प्रार्थी रेस्पो. ने आवेदन अन्तर्गत धारा 151 CPC प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि उनकी प्रकरण में अपीलांट द्वारा तहसीलदार सीकर के निर्णय के विरुद्ध एक अपील न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष धारा 225 RT Act के तहत प्रस्तुत की जिसे न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा दि. 20/2/18 को खारिज कर दिया गया। इस निर्णय की अपील पुनः धारा 225 RT Act के तहत प्रस्तुत की गई जो विधि विरुद्ध पेश की गई है तथा न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जावे।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देकर सीधे ही बहस ~~की~~ करने का निवेदन किया।

दुर्गाराम — गोपाल आदि अ.न. - 35/18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

PTO

दौरान बहस उर्फ ? रिवीजन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि धारा 225 RT Act के आदेश के विरुद्ध रिवीजन का स्पष्ट प्रावधान है। न्यायालय RAA में द्वितीय अपील अपीलेंट डिक्री की धारा 224 RT Act की तहत पेश की जा सकती है। निगरानी का स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद अपीलेंट द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से अपील पेश की गई है, जो कि खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील को पोषणीयता के अभाव में खारिज की जावे।

दौराने बहस वकील अपीलेंट ने जाहिर किया कि न्यायालय हाजा में अपील सही रूप से पेश की गई है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अतः इनका आवेदन खारिज किया जावे।

आवेदन का अवलोकन किया। रिकार्ड का अवलोकन किया। उभय पक्षों की बहस पर गौर किया गया।

प्रकरण के तथ्यों से ज्ञात तहसीलदार द्वारा 183 B RT Act के तहत प्रार्थनापत्र को निर्णय पारित किया जिसकी प्रकरण अपील 225 RJ Act के तहत जिला कलक्टर को की गई। अब इस आदेश के विरुद्ध रिवीजन ही की जा सकती है। न्यायालय हाजा में 225 RT Act के तहत जिला कलक्टर के निर्णय के विरुद्ध अपील पेश नहीं की

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	द्वितीय अपील अपीलेट डिक्री की धारा धारा 224 RT Act के तहत पेश की जा सकती है। इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 151 CPC पोषणीयता के सम्बन्ध में स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलेट न्यायालय द्वारा के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	